भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून—248001
दूरभाषः 0135—2650809
फैक्स—0135—2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या ८ बी. / यू.सी.पी. / 01 / 146 / 2018 / एफ.सी. / 174

दिनांक 31 /05/2021

सेवा में

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:— जनपद— उत्तरकाशी के अन्तर्गत सूपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल—सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/HYD/22889/2016)

सन्दर्भ:-कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 2726/FP/UK/ HYD/22889/2016 दिनांक 04-05-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31/03/2021 का जवाब राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रेषित उत्तर में निम्नलिखित किमयाँ पाई गई है। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं की अनुपालना आख्या इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें:—

- 1- In reply to point No. 01, State Government forwarded the letter of DFO, wherein DFO submitted that area has been visited by him and found suitable for plantation. Further, it has also been state that the tree counting in the area will take time. The contention of DFO that the density is less than 0.4 cannot be accepted without the tree counting. Therefore, State Government may either replace the 9 ha VDF area and 33 ha MDF area with some other area suitable for CA or submit the enumeration list of trees falling in CA area.
- 2- In reply to point No. 02, Nodal Officer has mentioned that 2.067 ha area falls in Govind WLS however, as per the letter dt. 17.04.2021of Deputy Director, Govind WLS, 22.067 ha area falls in Govind WLS. State Government may submit the clarification and provide the correct information in this regard.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :— 1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

> (टी0 सी0 नौटियाल) उप महानिरीक्षक, वन (के0)